

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 713/गोपनीय/2021
दो-2-1/2021

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त, 2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये प्रधान जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री प्रभात कुमार मिश्रा	राजगढ़	शहडोल	शहडोल	सिविल जिला, शहडोल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2.	श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह	सीधी	देवास	देवास	सिविल जिला, देवास प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3.	श्री अनिल कुमार भाटिया	उमरिया	राजगढ़	राजगढ़	सिविल जिला, राजगढ़ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ की हैसियत से श्री प्रभात कुमार मिश्रा के स्थान पर।
4.	श्री राजेश कुमार गुप्ता	झाबुआ	रतलाम	रतलाम	सिविल जिला, रतलाम प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
5.	श्री योगेश दत्त (शुक्ला), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल।	भोपाल	हरदा	हरदा	सिविल जिला, हरदा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

4

6.	श्री महेश कुमार शर्मा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर, इन्दौर	इन्दौर	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	सिविल जिला, नरसिंहपुर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
7.	श्री अमिताभ मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर।	जबलपुर	सीधी	सीधी	सिविल जिला, सीधी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी की हैसियत से श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर।
8.	श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास।	देवास	झाबुआ	झाबुआ	सिविल जिला, झाबुआ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ की हैसियत से श्री राजेश कुमार गुप्ता के स्थान पर।
9.	श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर।	सागर	उमरिया	उमरिया	सिविल जिला, उमरिया प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की हैसियत से श्री अनिल कुमार भाटिया के स्थान पर।

क्रमांक 714 / गोपनीय / 2021
दो-2-1/2021

जबलपुर, दिनांक 11 अगस्त, 2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26-10-95, अधिसूचना क्रमांक फा0-1-2-90-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 19-2-97 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7-5-99, क्रमांक फा01-2-90/21-ब (एक), दिनांक 4-58-2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90-21/ब(एक)1511/2016, दिनांक 16-05-2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारी को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की



अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है :-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्रखण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा	पन्ना	भिण्ड	भिण्ड	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।	भिण्ड
2.	श्री रामब्रेस (यादव)	पाटन	सिवनी	सिवनी	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्रीमती आशिता श्रीवास्तव के स्थान पर।	सिवनी

क्रमांक **715**/गोपनीय/2021
दो-2-1/2021

जबलपुर, दिनांक **11** अगस्त, 2021

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:-

सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी।	सिवनी	सागर	सागर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर के न्यायालय के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश की हैसियत से।



2.	श्रीमती रमा जयंत मित्तल	शाजापुर	मनासा	नीमच	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
3.	श्री गंगाचरण दुबे	देवास	इन्दौर	इन्दौर	अष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्रीमती मनीषा बसेर के स्थान पर।
4.	श्री मनोज कुमार लढिया	मैहर	सिरमौर	रीवा	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री निलेश यादव के स्थान पर।
5.	श्री विवेक कुमार	नीमच	पाटन	जबलपुर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री रामब्रेस (यादव) के स्थान पर।
6.	श्री किशोर कुमार मिश्रा	शहडोल	हटा	दमोह	द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
7.	श्री सुशील कुमार जोशी	मुलताई	ग्वालियर	ग्वालियर	अष्टम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
8.	श्री निलेश यादव	सिरमौर	देपालपुर	इन्दौर	जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में।
9.	श्रीमती सोनल पटेल	डॉ. अम्बेडकर नगर	आगर	शाजापुर	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री ओमप्रकाश सिंह रघुवंशी (सीनियर) के स्थान पर।
10.	श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर	उज्जैन	इन्दौर	इन्दौर	तीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से।
11.	श्री रश्मि मिश्रा	डॉ. अम्बेडकर नगर	भोपाल	भोपाल	उन्नीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री पूरन चन्द्र गुप्ता के स्थान पर।

12.	श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर)	दतिया	रीवा	रीवा	षष्ठम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
13.	श्री प्रशान्त शुक्ला	टीकमगढ़	मैहर	सतना	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री मनोज कुमार लढिया के स्थान पर।
14.	श्री महेन्द्र मंगोदिया	शयोपुर	पन्ना	पन्ना	प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा के स्थान पर।

टिप्पणी:- रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. Reg (IT) (SA) /2018/368, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,


11.8.21
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक **716** /गोपनीय/2021
दो-2-1/2021

जबलपुर, दिनांक **11** अगस्त, 2021

प्रतिलिपि:-

- उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- महालेखाकार,(लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़,
 - श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी,
 - श्री अनिल कुमार भाटिया, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया,


4. श्री राजेश कुमार गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ,
5. श्री योगेश दत्त (शुक्ला), प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल,
6. श्री महेश कुमार शर्मा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/रजिस्ट्रार, खण्डपीठ इन्दौर, इन्दौर,
7. श्री अमिताभ मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर,
8. श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, देवास,
9. श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सागर,
10. श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सिवनी,
11. श्री रामब्रेस (यादव), जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पाटन जिला जबलपुर,
12. श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पन्ना,
13. श्रीमती रमा जयंत मित्तल, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शाजापुर,
14. श्री गंगाचरण दुबे, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, देवास,
15. श्री मनोज कुमार लढिया, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मैहर जिला सतना,
16. श्री विवेक कुमार, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नीमच के न्यायालय के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश, नीमच,
17. श्री किशोर कुमार मिश्रा, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहडोल,
18. श्री सुशील कुमार जोशी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुलताई जिला बैतूल,
19. श्री निलेश यादव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सिरमौर जिला रीवा,
20. श्रीमती सोनल पटेल, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर,
21. श्री प्रेमपाल सिंह ठाकुर, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन,
22. श्रीमती रश्मि मिश्रा, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डॉ. अम्बेडकर नगर जिला इंदौर,
23. श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा (सीनियर), द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दतिया,
24. श्री प्रशान्त शुक्ला, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़,
25. श्री महेन्द्र मंगोदिया, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्योपुर,

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। वे कृपया वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपें कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 23-08-2021 तक अवश्यमेव कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को तत्काल प्रेषित करें।

6. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़/ सीधी/ उमरिया/ भोपाल/ इन्दौर/ जबलपुर/ देवास/ सागर/ जबलपुर/ पन्ना/ सिवनी/ शाजापुर/ सतना/ शहडोल/ टीकमगढ़/ श्योपुर/ नीमच/ दतिया/ शाजापुर/ रीवा/ उज्जैन/ बैतूल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। वे कृपया संबंधित अधिकारी को उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान पर इस प्रकार कार्यभार सौंपने संबंधी निर्देश देवें जिससे कि वे अपनी पदस्थापना के नये स्थान पर दिनांक 23-08-2021 तक अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर सकें। कार्यभार सौंपने एवं ग्रहण करने संबंधी सूचना इस रजिस्ट्री को शीघ्र प्रेषित करें।

7. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा/ नरसिंहपुर/ झाबुआ/ भिण्ड/ दमोह/ ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
8. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचनार्थ अग्रेषित।
9. कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल/ जबलपुर/ देवास/ सागर को सूचनार्थ अग्रेषित।
10. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस0ए0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
 - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (कार्य एवं अधोसंरचना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ सदस्य सचिव (एस.सी.एम.एस.)/ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
 - (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
11. रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
12. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
13. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
14. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।

15. माननीय न्यायाधिपति श्री _____ के सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित।
16. रजिस्ट्रार जनरल के सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।
17. प्रशासनिक अधिकारी, पेन्शन / बजट / सहायक (कार्य) / शिकायत / वेतन निर्धारण (राजपत्रित) / अग्रिम / अवकाश (राजपत्रित) / सिविल चेकर / क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित।


11.8.14
(राजेन्द्र कुमार वाणी)
रजिस्ट्रार जनरल
8/8